

“आवश्यक सूचना”

जिला पंचायत, बुलन्दशहर के समस्त करदाआतों/व्यापारियों/ईट-भट्टा मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना टैक्स, लाईसेंस शुल्क, किस्त की धनराशि, किराया, नौका घाट, टेम्पो-टैक्सी स्टैण्ड, हड्डी चमड़ा आदि के बकाया धनराशि व अन्य देयकों का भुगतान दिनांक 24.11.2016 तक प्रत्येक दशा में कर दें उक्त अवधि में मूल्य 1000/- एवं मूल्य 500/- नोट स्वीकार किये जायेंगे। उक्त अवधि के उपरान्त मूल्य 1000/- एवं मूल्य 500/- नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा बकाया होने की स्थिति में कोई भी अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त धनराशि नकद जिला पंचायत जिला निधि के खाता (पंजाब नेशनल बैंक, शाखा यमुनापुरम निकट आर0टी0ओ0 बुलन्दशहर-203001, बैंक ब्रांच कोड 456800, खाता संख्या 4568002100003410, IFSC RTGS Code- PUNB0456800) में सीधे जमा किया जायेगा और उसका विस्तृत विवरण निविदा फार्म पर दिया जायेगा।

(प्रदीप कुमार)

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

कार्यालय जिला पंचायत, बुलन्दशहर।

पत्रांक 1478 /अनुभाग-3 /05732-282160 /2016-17

दिनांक : 19,नवम्बर,2016

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
3. प्रभारी अधिकारी, शासकीय वेबसाईट जिला कलैक्ट्रेट को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेशानुसार वेबसाईट www.bulandshahar.nic.in पर सूचना अपलोड कराने का अनुरोध है।
4. प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
5. विज्ञापन व्यवस्थापक अमर उजाला उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति एक अंक में कम से कम स्थान में एवं छोटे अक्षरों में शासकीय दर पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की 03 प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध करायें।
6. प्रबन्ध पंजाब नेशनल बैंक, शाखा यमुनापुरम निकट आर0टी0ओ0, बुलन्दशहर।

(प्रदीप कुमार)

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बुलन्दशहर।